न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 74/2021
तारीख दायर : 05.08.2021

अनवान

1. रमेश पिता मगना जाति बैरवा निवासी चैनपुरिया उर्फ ठिकरिया तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री सावंरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)।
2. श्री पेरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 09.11.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मानपुरा में स्थित भूमि खाता संख्या 149 की आराजी संख्या 1911/2 रकबा 0.1052 हैक्टेयर पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने हेतु ग्राम गोपालपुरा में अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु त्रिवेणी से मानपुरा सड़क से होकर आराजी संख्या 1911/3 के पुर्वी मेर पर होकर अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा न0 1911/2 में पहुंचता है। 1911/3 किस्म बंजड होकर राजस्थान सरकार के नाम पर है। उक्त भूमि से करीब 30 फीट चौडे रास्ते की प्रार्थी को आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के 30 फीट चौडे रास्ते हेतु प्रतिकर जमा कराने को तैयार हैं। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी को अपनी जमीन पर पहूचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी के पास उपरोक्त वर्णित रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु न्यायालय श्रीमान में प्रार्थनापत्र पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। विपक्षीगण की रास्ते में जो भी जमीन आयेगी उसका न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार प्रतिकर प्रार्थी अदा करने को तैयार है। रास्ते को प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लालस्याही से दर्शाया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मानपुरा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी संख्या 1911/2 रकबा 0.1052 हैक्टेयर मे आने जाने संजबैल ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मानपुरा में स्थित विपक्षी की भूमि आराजी संख्या 1911/3 की पूर्वी मेड पर 30 फीट चौडा रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। विपक्षी राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दी। एवं मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया।

दिनांक 02.09.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक भु.अ./2021/2051 दिनांक 15.09.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम आमली की आराजी नम्बर 1911/2 रकबा 0.1052 है में पहुंचने के लिये अप्रार्थी राजस्थान सरकार की

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़ जि–भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner